HRA Saxette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 1609] No. 1609]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2007/पौष 7, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2007/PAUSA7, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2218(अ).—कंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 613 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 3879 तारीख 22 दिसम्बर, 1962 द्वारा यह आदेश किया था कि उक्त अधिनियम की अनुसूची 10 के साथ पठित धारा 611 के अधीन किसी संगम की जो लाभ के लिए नहीं है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस पचास रुपए होगी।

अत: अब केन्द्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयाग करते हुए 22 दिसम्बर, 1962 के भारत के राजपत्र में का.आ. 3879 द्वारा प्रकाशित आदेश को 31 दिसम्बर, 2007 से विखंडित करती है; ऐसा विखंडिन इस अधिसूचना के पूर्व उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या लोग की गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा।

[फा. सं. 3/2/2007-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2007

S.O. 2218(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 613 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government vide S.O. 3879, dated the 22nd December, 1962 had ordered that the fees payable under Section 611 of the said Act read with Schedule X thereto, for registration, as a company with limited liability, of an association not for profit which is licensed under Section 25 of the said Act, by fifty rupees.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 25 of the said Act read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the order published in the Gazette of India dated the 22nd December, 1962 *vide* number S.O. 3879 with effect from 31st December, 2007; such rescission shall not affect anything done or omitted to be done under the said notification before this notification.

[F. No. 3/2/2007-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.